माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

कमांक /971/ /डी.एड./सम्बद्धता./2009   भोपाल, दिनांक/18/06/2009

स्थाई निर्देश

डी.एड./पी.पी.टी. पाठ्यकम संचालित करने के लिए N.C.T.E. से मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थाओं की डी.एड./पी.पी.टी. परीक्षाओं का आयोजन माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश द्वारा किया जाता है । परीक्षा निकाय की हैसियत से माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश N.C.T.E. से मान्यता प्राप्त डी.एड./पी.पी.टी संस्थाओं को सम्बद्धता देता है । इस सम्बद्धता के सम्बन्ध में समय–समय पर मण्डल द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं, किन्तु इस विषय में कोई स्थायी निर्देश अभी तक जारी नहीं किए गए हैं । अतः डी.एड./पी.पी.टी. पाठ्यकम का संचालन करने वाली संस्थाओं को मण्डल की सम्बद्धता देने तथा उसके नवीनीकरण के सम्बन्ध में निम्नानुसार स्थायी निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. N.C.T.E. से डी.एड./पी.पी.टी. पाठ्यकम के संचालन की मान्यता प्राप्त करने के बाद संस्था द्वारा 30 जून तक मण्डल की सम्बद्धता प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रारूप पर आवेदन दिया जा सकेगा ।

2. 30 जून के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को अगले सत्र के लिए विचार में लिया जावेगा ।

3. आवेदन पत्र के साथ प्रत्येक 50 छात्रों के इन्टेक के लिए सम्बद्धता शुल्क रुपये 15,000/– जमा करना अनिवार्य होगा । यह शुल्क समय–समय पर माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश द्वारा पुनरीक्षित किया जा सकेगा । सम्बद्धता शुल्क जमा करने का प्रमाण, आवेदन पत्र के साथ संलग्न न होने पर आवेदन पत्र अग्राह्य किया जावेगा । सम्बद्धता के वार्षिक नवीनीकरण का शुल्क प्रत्येक 50 छात्रों के इन्टेक के लिए रुपये 2500/– होगा, जिसे समय–समय पर मण्डल द्वारा पुनरीक्षित किया जा सकेगा ।

4. सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु आवेदन, संस्था के प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा किया जावेगा । आवेदन पत्र के साथ एन.सी.टी.ई. से प्राप्त स्थाई मान्यता आदेश की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

5. एक बार डी.एड./पी.पी.टी. के संचालन के लिए मण्डल की सम्बद्धता प्राप्त कर लेने के बाद संस्था तब तक मण्डल से सम्बद्ध मानी जावेगी जब तक कि उसे

–2

N.C.T.E. से मान्यता प्राप्त है।इस सम्बन्ध में संस्था को प्रति वर्ष नवीनीकरण के लिए आवेदन देने की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते ऐसी सम्बद्धता निम्न कारणों से कभी भी समाप्त की जा सकेगी अर्थात:–

5.1 यदि संस्था ने नियत समय के पूर्व वार्षिक सम्बद्धता शुल्क रु0 2500/–प्रति छात्र अथवा समय समय पर मण्डल द्वारा निर्धारित वार्षिक सम्बद्धता शुल्क मण्डल में जमा करने से चूक की हो, अथवा

5.2 यदि संस्था ने मण्डल की परीक्षाओं को समय पर आयोजित करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न की हो, अथवा

5.3 संस्था ने मण्डल की सम्बद्धता प्राप्त करने के प्रयोजन से कोई तथ्य छिपाया हो तथा छल पूर्वक सम्बद्धता प्राप्त की हो, अथवा

5.4 संस्था ने परीक्षा के प्रयोजन से मण्डल द्वारा मांगी जाने वाली जानकारियॉं समय पर प्रस्तुत करने में चूक की हो ।

परंतु किसी भी संस्था की सम्बद्धता समाप्त करने का आदेश तब तक जारी नहीं किया जावेगा, जब तक कि संस्था के अध्यक्ष/सचिव को इस सम्बन्ध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

6. प्रत्येक वर्ष डी.एड. प्रशिक्षण का सत्र 01 अगस्त से प्रारम्भ होगा । सभी सम्बद्धता प्राप्त संस्थाओं में मध्यप्रदेश शासन / राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा निर्धारित अन्तिम प्रवेश तिथि के पूर्व एन.सी.टी.ई. से स्वीकृत इन्टेक के अनुसार प्रशिक्षणार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा । अंतिम प्रवेश तिथि के बाद प्रवेशित छात्रों को परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं होगी ।

7. एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त होने की प्रत्याशा में अथवा माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश से सम्बद्धता प्राप्त होने की प्रत्याशा में किसी भी संस्था द्वारा छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा । ऐसे छात्रों को मण्डल द्वारा डी.एड./पी.पी.टी. की परीक्षाओं में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जावेगी ।

8. प्रत्येक संस्था द्वारा डी.एड. / पी.पी.टी. प्रथम वर्ष में प्रवेश दिये गये समस्त

छात्रों का नामांकन 31 अक्टूबर तक कराना अनिवार्य होगा । यदि कोई संस्था प्रवेश दिये गये छात्रों का नामांकन नहीं करवाती है तो उन छात्रों को मण्डल द्वारा आयोजित डी.एड. /पी.पी.टी. परीक्षा में शामिल होने की पात्रता नहीं होगी ।

9. सम्बद्धता प्राप्त संस्थाओं को डी.एड. / पी.पी.टी. प्रशिक्षण में प्रवेश देने के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों एवं प्रसारित अन्य आदेशों का पालन करना आवश्यक होगा ।

18/6/07

(लक्ष्मीकान्त द्विवेदी)
सचिव,
माध्यमिक शिक्षा मंडल,
म.प्र.,भोपाल

मंत्रालय

क्रमांक/2070/1845/08/20-2 भोपाल दिनांक 20.6.08

प्रति,

आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र
मध्यप्रदेश भोपाल।

विषय—डिप्लोमा इन एज्यूकेशन नियमित पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2007 के संबंध में स्पष्टीकरण।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा डिप्लोमा इन एज्यूकेशन नियमित पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2007 जारी किए गए है। इन नियमों के निरसन उपरान्त नये नियम प्रावधानित होने तक आगामी शिक्षा सत्र में यह नियम प्रभावी होंगे। इन नियमों के संबंध में कतिपय स्पष्टीकरण चाहें गए है । इस संबंध में निम्नानुसार स्पष्टीकरण जारी किए जाते है।

2/ प्रवेश की प्रक्रिया 10 जुलाई तक पूर्ण कर 15 जुलाई तक शिक्षण कार्य प्रारंभ करना अनिवार्य होगा ।

3/ प्रवेश नियम के संलग्न परिशिष्ट—1 एवं परिशिष्ट—2 शासकीय एवं अशासकीय प्रशिक्षण संस्थानों के समान रूप से प्रभावी होंगे एवं तदनुसार प्रवेश प्रकिया में अनुरक्षण किया जावेगा ।

4/ डी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु गणित, विज्ञान व कला संकाय के लिये निर्धारित स्थान के लिये किसी भी श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थानों की पूर्ति अन्य संकाय कृषि विज्ञान, गृह विज्ञान, वाणिज्य, व्यावसायिक शिक्षा के वरीयता क्रम में उपलब्ध अभ्यर्थियों से की जावेगी ।

5/ उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता शासकीय अभ्यर्थियों को उक्त वरियता क्रम में दी जावेगी। किसी भी संकाय के शासकीय अभ्यर्थी का आवेदन शेष न होने की स्थिति में रिक्त स्थान की पूर्ति उसी संकाय के गैर शासकीय अभ्यर्थी से की जावेगी। संबंधित संकाय में गैर शासकीय अभ्यर्थी का आवेदन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति मे रिक्त स्थान की पूर्ति विषयवार उक्त निर्धारित वरीयता क्रम के अनुसार की जावेगी।

हस्ता/—
अवर सचिव
म०प्र०शासन स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल

आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन—"बी" विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल
दूरभाष क्रमांक 2555016, 2555018

पृ०क्रमांक/राशिके/शिक्षि/डीएड/2008/2719-23 भोपाल दिनांक 25/6/08

प्रतिलिपि —

1. प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन स्कूल शिक्षा विभाग ।
2. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (समस्त)
4. प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (समस्त) की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि समय सीमा मे आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
5. श्री राकेश ... राज्य शिक्षा अभियान की वेबसाइट www.ssa.mp.gov.in पर उपलब्ध कराने हेतु ICT कक्ष की ओर कार्यवाही हेतु ।

अपर मिशन संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र
भोपाल